/

सूचना का अधिकार मामला/समयबद्ध
अति तत्काल
स्पीड पोस्ट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या मा.स.प्र./ सूचना का अधिकार/ 624/2011/386 दिनांक 26/11/2011 27 नवं. 2011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/~~श्रीमती~~ नवनीत कुमार द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 12/5/11 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

"जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-"

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी भाग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एंव आवेदन कर्त्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

1.
2. क्र.स. 2
3.
4.

आवेदन की फोटोकापी
पत्र संख्या शून्य
दिनांक 12/5/11 के साथ
संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारिओं/__________ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एंव उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दाण्डिक उपबन्ध है ।

कृपया इसे **अति तत्काल** समझे ।

22/5/11
(राहुल आर्या)
केन्द्रीय सहायक **जन सूचना अधिकारी**
(मा.सं.प्र.)

सेवा मे,

1. ____________________ ।
2. सभी क्षेत्रो के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वैब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 12/5/11 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/~~श्रीमति~~ नवनीत कुमार, ।
   2, 2सी, सेक्टर-24, ।
   नोएडा, (यू०पी) ।

(राहुल आर्या)
केन्द्रीय सहायक **जन सूचना अधिकारी**
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

केन्द्रीय सूचना आयुक्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
14 भिकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली

विषय :– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में ।

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनिम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए जिसके लिये वांछित शुल्क रू0 10/– का पोस्टल आर्डर संख्या 96E 665143 dt 29.04.11 संलग्न है ।

1. क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा जारी ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची अवलोकनार्थ संलग्न है । कृपया संलग्न सूची का अवलोकन कर यह बताएं कि क्या उपरोक्त सूची बनाते समय मुख्यालय एवं डीओपीटी के निर्देशों का पालन किया गया है ? यदि नही तो क्यों ?
2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को क्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्या प्रत्येक वर्ष वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिन–जिन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एसएसए/एसएसएसए, एसएस, लेखाधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गई उसका विवरण उपलब्ध कराएं जिन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्योंकि ईपीएफ स्टाफ यूनियन, नोएडा के आरटीआई द्वारा मॉगी गई सूचना में क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 31.12.1993 के बाद वरिष्ठता सूची नही जारी की गई है ।
3. क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा वरिष्ठता सूची दिनांक 31.12.1993 के बाद क्यों नहीं जारी की गई ?
4. दिनांक 31.12.1993 के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा एसएस, लेखाधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी में प्रोन्नति किस आधार पर कई गई ?
5. वरिष्ठता सूची के आभाव में जो रिक्तियां नहीं भरी जा सकी उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?
6. जिन कर्मचारियों की प्रोन्नति पिछले 10, 20, 30 या अधिक वर्षों से प्रोन्नति नहीं की गई उनकी आर्थिक एवं सामाजिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कौन जिम्मेवार है ?

कृपया श्रेणी (जा ब्रे) को प्रेषित करें।
12.5.2011
अमित वशिष्ठ
AMIT VASHIST
क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त
Regional P. F. Commissioner
810
19.5.11

(७)

7. समय–समय पर जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में की गई उन्होने इस दिशा में क्या–क्या कार्य किये उनका विवरण दें एवं दिनांक 31.12.1993 से अब तक पदस्थ क्षेत्रीय आयुक्तों, अपर केन्द्रीय भ0नि0 आयुक्तों एवं सहायक आयुक्तों का नाम एवं कार्यकाल का विवरण एवं उनके द्वारा वरिष्ठता सूची के संदर्भ में संपादित कार्यों का विवरण प्रेषित करें ।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा एसएसए/एसएसएसए के 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत विभाजन की सूची अब तक क्यों नहीं जारी की गई ?
9. जे क्षेत्रीय कार्यालय वरिष्ठता सूची एवं लंबे समय तक जारी नहीं करते हैं, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है ?
10. तदर्थ आधार पर प्रोन्नति का एसएस/लेखाधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी कैडर में प्रोन्नति का आधार क्या है, कितने वर्षों तक तदर्थ प्रोन्नति की जाती है । तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के द्वारा प्रोन्नत कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा नियमित क्यों नहीं किया गया अथवा किया जा रहा है ।
11. उत्तर प्रदेश क्षेत्र में दिनांक 31.03.2011 तक स्वीकृत पद एसएसए/एसएसएसए एवं एसएस एवं लेखाधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी में स्वीकृत पद एवं उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या का विवरण प्रेषित करें ।
12. क्या अपना उत्तरदायित्व ना निभाने एवं कर्मचारियों के हितोंकी अनदेखी करने एवं केन्द्रीय कार्यालय के संज्ञान में जाने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर से प्रशासनिक शक्तियां अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों को हस्तांतरित की जा सकती है ।
13. जितने तदर्थ आधार पर अनुभाग पर्यवेक्षक है क्या उन्हें वापस अपने पूर्व पद पर किया जाएगा यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्या कारण है स्पष्ट करें ।

भवदीय

नवनीत कुमार
12.05.11

(नवनीत कुमार)

A-9C, Sec-24

Noida, U.P.